

Dated:-03-06-2026

1

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, XII, दरभंगा

पीठासीन पदाधिकारी : जावेद आलम

जमानत आवेदन संख्या- 455 / 2026

(प्रदीप लाल देव उर्फ प्रदीप लाल बनाम राज्य सरकार)

प्रदीप लाल देव उर्फ प्रदीप लाल, पे0 चन्द्र लाल देव.....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी।

आवेदक की ओर से : श्री संजय कुमार लाल, विद्वान अधिवक्ता

विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

03.06.2026 : — यह नियमित जमानत आवेदन आवेदक काराधीन अभियुक्त **प्रदीप लाल देव उर्फ प्रदीप लाल** जो दिनांक **08.05.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से **बहेड़ी थाना काण्ड संख्या-271 / 2026** अन्तर्गत धारा-303(2), 318(4), 61(2) बी0एन0एस0 जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सप्तम, दरभंगा के न्यायालय में लम्बित हैं, में नियमित जमानत आवेदन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा के यहाँ दाखिल किया गया, जो सुनवाई के लिए इस न्यायालय के संचिका में हस्तान्तरित होकर प्राप्त हुआ। आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता **श्री संजय कुमार लाल** तथा विद्वान लोक अभियोजक **श्री अमरेन्द्र नारायण झा** को सुना।

2. अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि घटना से 10 दिन पहले एक व्यक्ति आये और बोले कि हम शिव मंदिर की पूजा का निमंत्रण देने आये हैं। वह व्यक्ति सूचिका को बोला कि तुमको पेट में दर्द हो रहा है जिसपर सूचिका बोली कि हाँ दर्द हो रहा है और फिर बोला कि तुम्हारा पति कभी एकसीडेंट से बच गया था। उसके बाद वह व्यक्ति बोला कि काला पन्नी में चावल लाओ और जहाँ तुम सोती हो वहाँ रख दो और तुम बाहर खेत की तरफ जाओ। वह चली गई, उसके बाद वह व्यक्ति उसके सास से सोना का ढोलना पन्नी सहित लेकर भाग गया। आज दिनांक 06.05.2026 को करीब 5 बजे शाम में सूचिका सनखेरहा चौक पर सामान खरीदने गई तो देखी कि यही व्यक्ति मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन नं0-BR07BA-7706 पर बात कर रहा था तो वह पहचान गई

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, XII, दरभंगा

पीठासीन पदाधिकारी : जावेद आलम

जमानत आवेदन संख्या- 455/2026

(प्रदीप लाल देव उर्फ प्रदीप लाल बनाम राज्य सरकार)

कि यही आदमी उसका सोना लेकर भाग गया। तब वह हल्ला की और हल्ला पर वहां लोग जुट गये और उसको पकड़ लिये। पकड़ाये गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर वह अपना नाम प्रदीप लाल देव, पिता चन्द्र लाल देव बताये। उसके बाद वहां उपस्थित लोगों ने डायल 112 पर सूचना दिये, तब डायल 112 की पुलिस वहां पहुंची और इन्हें लेकर थाना गये।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के द्वारा इस केस में कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है और न ही कहीं लम्बित है। आवेदक के विरुद्ध इस कांड के अलावे एक अन्य आपराधिक कांड पतौना थाना कांड संख्या-28/26 धारा-303(2), 318(2), 112(2), 3(5) बी0एन0एस0 दर्ज है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है और इन्हें इस कांड में ग्रामीण राजनीति के तहत फंसाया गया है। आवेदक दिनांक 08.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। वाद उभय पक्षों के बीच सुलह हो गया है और सुलहनामा आवेदन अनुमति आवेदन के साथ निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक स्थानीय है इसलिए उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है तथा न्यायालय के संतुष्टि के लिये उचित राशि का बंध पत्र दाखिल करने के लिये तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाय।

4. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया और जमानत आवेदन खारिज करने का प्रार्थना किया गया।

5. उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा संपूर्ण कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस कांड में प्राथमिकी धारा 303(2), 318(4), 61(2) बी0एन0एस0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। वाद उभय पक्षों के बीच सुलह हो गया है। सूचिका आज न्यायालय में उपस्थित है तथा उसके द्वारा आवेदक अभियुक्त के साथ मुकदमा राजी-खुशी से सुलह हो जाने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 08.05.2026 से इस वाद में काराधीन है। सुलह एवं आवेदक के काराधीन अभिरक्षा अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Dated:-03-06-2026

3

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, XII, दरभंगा

पीठासीन पदाधिकारी : जावेद आलम

जमानत आवेदन संख्या- 455/2026

(प्रदीप लाल देव उर्फ प्रदीप लाल बनाम राज्य सरकार)

6. उपरोक्त मामले एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक काराधीन अभियुक्त प्रदीप लाल देव उर्फ प्रदीप लाल, पे0-चन्द्र लाल देव को मो0 10,000/-रूपये के दो जमानतदारों के साथ समान राशि के बंध-पत्र दाखिल करने पर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सप्तम, दरभंगा के संतुष्टि पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित

(जावेद आलम)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-XII

दरभंगा।

03.06.2026

Date of Judgment/order	03.06.2026
Date of Reserving Judgment/order	03.06.2026
Uploading order	04.06.2026
Uploaded by	Satish Lal Dev, Steno